17/9/17 - पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान लगान केम्प कोर्ट शिविर "न्याय आपके द्वार" 2017 मुकाम ग्राम पंचायत सिंहारीपुरा पर पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रति० उप० / अधि० वादी व प्रति० राज की बहस सुनी गयी / वादी का वाद डिक्री किया जाता है जिसका पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो / पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से [illegible] हो /

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट [illegible]) दूदू

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 158 / 2016

वाद दायरी दिनांक : 14 / 09 / 2016

निर्णय दिनांक : 17/05/2017

1. कल्याण पुत्र श्री जयलाल दत्तक पुत्र श्री पन्ना जाति जाट निवारी ग्राम छापरी तहसील फागी जिला जयपुर राज0

-- वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – ***श्री भैरूलाल शर्मा***
श्री त्रिलोकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 441, 455, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कुल किता 15 कुल रकबा 22.40 हैक्टेयर वाके ग्राम सवाईमानसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी बजरंगलाल पुत्र जयलाल हिस्सा 1/4 कल्याण पि.मु. पन्ना हिस्सा 1/2 प्रेमा पुत्र रामकरण हिस्सा 1/8 नन्दा पुत्र रामकरण हिस्सा 1/8 जाति जाट निवासी छापरी दर्ज खातेदार है वादी कल्याण पि.मु. पन्ना से सम्बन्ध रखता है तथा दर्ज इन्द्राज कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना दर्ज करवाना चाहता है। हाल खसरा नम्बर 441, 455, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 489, 490, 491, 492, 493, 494 के साबिक खसरा नम्बर 331, 335, 337, 339, 340, 362, 363, 366 से कायम किये गये है जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित हैं। प्रथम पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2030 के खाता संख्या 6 के द्वारा साबिक खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

331, 335, 337, 339, 340, 362, 363, 366 व 364 कुल किता 9 कुल रकबा 88 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी जयलाल वल्द रामनाथ व कल्याण पि.मु. पन्ना वादी के हक मे जारी किया गया है जो कि खतौनी बंदोबस्त भूप्रबंधक विभाग के पर्चा संख्या 6 से प्रमाणित है। हरनाथ व रामनाथ दोनो सगे भाई थे। हरनाथ के पन्ना उत्पन्न हुआ जो जमाना जागीर व पर्चा सैटलमेन्ट से पूर्व ही फौत हो गया है तथा सामाजिक रीती रिवाज अनुरूप पगडी दस्तुर व गोद दस्तुर वादी कल्याण के किया गया तथा पन्ना के तरके पर वादी काबिज काश्त रहा है जयलाल के तीन पुत्र कमशः वादी कल्याण, रामकरण व बजरंगलाल हुये। इस प्रकार वादी कल्याण जयलाल का जायन्दा पुत्र है तथा पन्ना के गोद जाने से कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश मे होने से उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी। हाल ही दिनांक 20.06.2016 को राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने तत्पश्चात अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प मौजमाबाद मे आवेदन प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार द्वारा दुरूस्ती से इंकार कर दिनांक 29.06.2016 को बेदखल करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद अन्दर मियांद प्रस्तुत है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 441, 455, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कुल किता 15 कुल रकबा 22.40 हैक्टेर वाके ग्राम सवाईमानसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वर्तमान इन्द्राज कल्याण पि.मु. पन्ना हिस्सा 1/2 की बजाय कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना हिस्सा 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे डिकी की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। अनुषगीक अनुतोष बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे दर्ज वादी का नाम कल्याण पि.मु. पन्ना हजफ फरमाया जाकर कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना प्रतिस्थापित फरमाया जावे। आदेश की पालनार्थ लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 14/09/2016 को प्रतिवादी को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 18/01/2017 को प्रतिवादी / तहसीलदार मौजमाबाद को तथ्यात्मक रिपोर्ट/ जवाब प्राप्त हुआ।

दिनांक 14/02/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू–1 कल्याण, पी. डब्ल्यू 2 गोपाल, पी.डब्ल्यू दुर्गालाल के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये

Scanned by CamScanner

जाकर बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 17, मिलान क्षेत्रफल ग्राम सवाईमानसिंहपुरा, प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत नारेडा, खतौनी बन्दोबस्त भू– प्रबन्ध विभाग सैटलमेन्ट खाता संख्या 6, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, खाता दुरूस्ती आवेदन, प्रार्थना–पत्र कैम्प प्रभारी महोदय, सांवली तथा साक्ष्य गवाहान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार से पायी गयी कि मुताबिक पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 लगायत 2030 के खाता संख्या 6 में खातेदार कल्याना पि.मु. पन्ना कौम जाट सा0 छावरी दर्ज है, इसी अनुसार हाल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 17 में भी दर्ज है, वादी ने अपने वाद–पत्र में यह अंकित किया है कि पन्ना पर्चा सैटलमेन्ट से पूर्व ही फौत हो गया था, जिसके कोई जायन्दा संतान नही होने से कल्याण को गोद लिया था, चूंकि वरवक्त पर्चा कल्याण पि.मु. पन्ना के नाम से जारी हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि कल्याण पन्ना का दत्तक पुत्र है एवं पन्ना की मृत्यु पर्चा सैटलमेन्ट से पूर्व ही हो जाने से पर्चा वादी कल्याण के नाम से जारी हुआ है, मुताबिक सजरा वादी के प्राकृतिक पिता जयलाल है जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मतदाता पहचान–पत्र, राशनकार्ड आदि से साबित है, वादी ने शिविर में भी अपनी वल्दियत कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया था, जिसमें भी पटवार हल्का बिहारीपुरा ने वादी का नाम कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना दर्ज करने हेतु अनुशंषा की है तथा वर्तमान मे इस प्रकरण में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त हुई है, उसमें भी वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत किसी प्रकार की आपत्ति नही है, इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 441, 455, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कुल किता 15 कुल रकबा 22.40 हैक्टेयर वाके ग्राम सवाईमानसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में दर्ज वर्तमान इन्द्राज कल्याण पि.मु. पन्ना हजफ किया जाकर कल्याण पुत्र जयलाल दत्तक पुत्र पन्ना दर्ज किया

Scanned by CamScanner

जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/05/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

[illegible]त न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू, जिला जयपुर
श्री दिनेश चन्द मीणा, आर.ए.एस.

श्री [illegible] पुत्र श्री जगनलाल बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह० मौजमाबाद
[illegible] पुत्र श्री पन्ना दावा बाबत घोषणात्मक डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा
[illegible] मुकदमा नं. 158/2016 सन्

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहनलाल शर्मा, वकील वादी

मिनजानिब मुदई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता [illegible] आराजी ख.नं. 451, 455, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कुल किता 15 कुल रकबा [illegible] है० वाके ग्राम [illegible] तह० मौजमाबाद जिला जयपुर में दर्ज [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पन्ना [illegible] किया जाकर [illegible] पुत्र जगनलाल [illegible] किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

[illegible] का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible]

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
[illegible]रिक					
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner